कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 414/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.11.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक-19.11.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस विज्ञप्ति
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

अवैध तमंचा बकर तो उसके साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

दिनांक 18.11.2025 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा गोरिया बाजार में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसके पास अवैध तमंचा है, जगजीवनपुर से नसीरपुर की ओर नहर मार्ग से जा रहा है और किसी आपराधिक घटना की फिराक में है।सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुँची और संदिग्ध व्यक्ति को टॉर्च संकेत देकर रोकना चाहा, जिस पर उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम—

01. मुस्तकीम पुत्र मुस्तफा, निवासी वार्ड नं. 01, अम्बेडकर नगर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र—लगभग 42 वर्ष बताया। जामा तलाशी में अभियुक्त के पास से—

01. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर

02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त को मौके पर ही समय 20:26 बजे, गोरिया नहर पुलिया—जगजीवनपुर मार्ग से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मु0अ0सं0 387/2025, धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी टीम:-
1. सुनील कुमार दुबे – थानाध्यक्ष, बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
2. का० शिवम शर्मा, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
3. का० अखिलेश कुमार सिंह, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
4. का० विकाश कुमार यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट,
थाना पवई, जनपद आजमगढ़
दिनांक 19.11.25

डा0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.11.2025 को *श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश दिनांकित 13 नवम्बर 2025 के क्रम में गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त मंगरु उर्फ मंगल पुत्र स्व0 नईम निवासी मानपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से श्रीमती इशरावती पत्नी हीरावन निवासी मुजफ्फरपुर परगना निजामाबाद ,तहसील मेहनगर, जनपद आममगढ़ के नाम से परगना माहुल तहसील फूलपुर आजमगढ़ के गाटा संख्या 648 हे0 में 30.97 कड़ी जमीन क्रय किया गया है जिसका मूल्य 1139295 रु0 (ग्यारह लाख उन्तालीस हजार दो सौ पन्चाबे रुपया मात्र) है को धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।*

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पर दिनांक 01.01.2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2022 धारा 3(1) सपठित धारा 2(ख) उपधारा 17 यूपी गैगेस्टर एक्ट बनाम मंगरु उर्फ मंगल पुत्र स्व0 मो0 नईम साकिन मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ आदि 3 नफर की विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मंगरु उर्फ मंगल पुत्र स्व0 मो0 नईम साकिन मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक गैंग है और अभियुक्त मंगरु उर्फ मंगल उस गैंग का सरगना है। यह अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक, दुनियाबी लाभ के लिये गोवध जैसे जघन्य अपराध कारित करता है इसके द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ संगठित अपराध कर अवैध धन अर्जित किया गया है। अभियुक्त मंगरु उर्फ मंगल पुत्र स्व0 मो0 नईम साकिन मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ के द्वारा आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त रहकर अपराध से अर्जित किये गये अवैध धन से श्रीमती इशरावती पत्नी हीरावन निवासी मुजफ्फरपुर परगना निजामाबाद ,तहसील मेहनगर, जनपद आममगढ़ के नाम से परगना माहुल तहसील फूलपुर आजमगढ़ के गाटा संख्या 648 हे0 में 30.97 कड़ी जमीन को दिनांक 31.08.2020 को बैनामा कराकर अभियुक्त मंगरु उर्फ मंगल द्वारा वर्ष 2021 में अपना पक्का मकान का निर्माण कराया गया जिसकी चौहद्दी पूरब मे शेष रकबा पन्नेलाल आदि ,पश्चिम में चकमार्ग ,उत्तर में शेष रकबा पन्नेलाल तथा दक्षिण में चकमार्ग स्थित है। जिसका लोक निर्माण विभाग आजमगढ द्वारा आगणिक मूल्य मूल्य 1139295 रु0 (ग्यारह लाख उन्तालीस हजार दो सौ पन्चाबे रुपया मात्र) है जिसको धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय को जरिये उचित माध्यम रिपोर्ट प्रेषित किया गया था, उक्त के क्रम में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय के आदेश दिनांक 13.11.2025 के क्रम में वाद संख्या 4509/2025 कम्प्यूट्रीकृत वाद संख्या D 202515060004509 सरकार बनाम मंगरु उर्फ मंगल अन्तर्गत धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत दिनांक 19.11.2025 को एसडीएम फूलपुर श्री अशोक कुमार,तहसीलदार फूलपुर श्री राजू कुमार कुमार मय राजस्व टीम तथा क्षेत्राधिकारी महोदय फूलपुर किरनपाल सिंह व थानाध्यक्ष पवई प्रदीप कुमार मिश्रा मय पुलिस बल, उप निरीक्षक फूलपुर उमाशंकर यादव, उपनिरीक्षक वासुदेव मिश्रा ,म0उ0नि 0 प्रियंका तिवारी , हे0का0 राजीव यादव ,का0 अनिल प्रसाद ,का0 ओमप्रकाश पटेल,का0 सुनील यादव,का0 ददन गौड, म0का0 सपना तिवारी , म0का0 शिल्पी सिंह थाना फूलपुर के द्वारा जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त का नाम पताः-

01. मंगरु उर्फ मंगल पुत्र स्व0 नईम निवासी मानपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
01	79/21	3/5/8 गोवध निवा0अधि0 व 4/25 आयुध अधि0	थाना फूलपुर,आजमगढ़
02	01/22	धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट	थाना फूलपुर,आजमगढ़
03	490/23	धारा 8/20 NDPS एक्ट	थाना फूलपुर,आजमगढ़

कुर्की में जाने वाली टीम का विवरणः-

1. श्री अशोक कुमार(एसडीएम फूलपुर)
2. श्री राजू कुमार कुमार (तहसीलदार फूलपुर) मय राजस्व टीम

3. किरनपाल सिंह (क्षेत्राधिकारी फूलपुर)
4. थानाध्यक्ष पवई प्रदीप कुमार मिश्रा मय पुलिस बल,
5. उप निरीक्षक उमाशंकर यादव थाना फूलपुर,
6.उपनिरीक्षक वासुदेव मिश्रा थाना फूलपुर
7.म0उ0नि0 प्रियंका तिवारी थाना फूलपुर
8.हे0का0 राजीव यादव थान फूलपुर
9.का0 अनिल प्रसाद थाना फूलपुर
10.का0 ओमप्रकाश पटेल थाना फूलपुर
11.का0 सुनील यादव थाना फूलपुर
12.का0 ददन गौड थाना फूलपुर
13.म0का0 सपना तिवारी थाना फूलपुर
14 म0का 0 शिल्पी सिंह थाना फूलपुर

प्रेस नोट दिनांक-19.11.2025
थाना – कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

साइबर फ्रॉड के कुल ₹2,61,000/- की बड़ी रिकवरी – आज़मगढ़ पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ डॉ. अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज़मगढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। *अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम श्री विवेक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के नेतृत्व में* थाना कोतवाली एवं साइबर सेल आज़मगढ़ की संयुक्त टीम ने साइबर ठगी के *एक मामले में ₹2,61,000/- की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को सफलतापूर्वक वापस* कराई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-
आवेदिका शमीम मौर्या, निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली, को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सस्ते ई-रिक्शा दिलाने का झांसा देकर UPI/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कई बार में *कुल ₹2,61,000/-* ठग लिए गए। पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली में सूचना देने पर *साइबर टीम* ने तत्काल कार्रवाई करते हुए *1930 हेल्पलाइन* पर कॉल कराई तथा राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल *www.cybercrime.gov.in* पर शिकायत दर्ज कराई।

थाना कोतवाली की साइबर टीम व साइबर सेल आजमगढ़ के त्वरित प्रयासों से संदिग्ध बैंक खाते को समय रहते होल्ड कराया गया तथा नियमानुसार पीड़िता के खाते में *पूरी धनराशि ₹2,61,000/- वापस* करवाई गई।

➡ तकनीकी विशेषज्ञों, नोडल अधिकारियों एवं बैंकिंग प्रणाली से सतत समन्वय कर पुलिस टीम द्वारा निरंतर व प्रभावी प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता को उसकी संपूर्ण धनराशि वापस मिल सकी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

टीम–01 : थाना कोतवाली, साइबर टीम-
1. उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम
2. का0 नीरज कुमार
3. का0 आशुतोष दूबे

टीम–02 : साइबर सेल आज़मगढ़
1. उ0नि0 सागर कुमार रंगु (प्रभारी साइबर सेल)
2. का0 राहुल सिंह

➡️ *आज़मगढ़ पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी/साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस नोट थाना तरवां, जनपद आज़मगढ़
दिनांक : 19.11.2025

महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 10.06.2025 को दोपहर लगभग 12 बजे एक महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया तथा विरोध करने पर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के संबंध में पीड़िता की ओर से दिनांक 01.11.2025 को लिखित सूचना थाना तरवां पर दी गई। इस आधार पर थाना तरवां में मु0अ0सं0 295/25, धारा 64/352/351(3), 333 बीएनएस बनाम कन्हैया चौहान पुत्र पल्टन चौहान सहित कुल 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 19.11.2025 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कन्हैया चौहान, निवासी ग्राम सिंहपुर बढ़यापार थाना तरवां को मेहनाजपुर–खरिहानी मुख्य मार्ग से समय लगभग 11:30 बजे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. कन्हैया चौहान पुत्र पल्टन चौहान, निवासी: ग्राम सिंहपुर बढ़यापार, थाना तरवां, जनपद आज़मगढ़, उम्र: लगभग 25 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सौरव कुमार, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
3. का0 अजय यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
4. का0 चालक विपिन कुमार यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट
दिनांक-19.11.2025

➡️ *यातायात माह के तहत आजमगढ़ पुलिस द्वारा हेलमेट वितरण—महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित यातायात का संदेश*

यातायात माह नवम्बर 2025 के क्रम में आज दिनांक 19.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार (IPS) के कुशल निर्देशन में सुरक्षित यातायात जागरूकता हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

➡️ *क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री शुभम तोदी* द्वारा थाना जहानागंज क्षेत्र में स्थानीय व्यापार मण्डल के सहयोग से *ट्रैफिक जागरूकता अभियान* चलाया गया, जिसमें *25 हेलमेट का वितरण महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों* के बीच किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करना, हेलमेट के अनिवार्य उपयोग को बढ़ावा देना तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु समाज को सुरक्षित यातायात का संदेश देना रहा।

*इस पहल को स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रशंसनीय बताया गया और आजमगढ़ पुलिस के इस कदम की सराहना की गई। जनपद पुलिस आगे भी सड़क सुरक्षा व जनजागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखेगी।